(Authoritative English text of this Department Notification No. STE-F(9)-1/2018-loose dated 28-03-2025 as required under clause 3 of article 348 of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Department of Environment, Science Technology & Climate Change

No. STE-F(9)-1/2018-loose Dated: Shimla-2 28-03-2025.

NOTIFICATION

WHEREAS, the Government of Himachal Pradesh under Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, has imposed ban on use of certain non-bio degradable materials including compostable bags and littering thereof in the State to prevent pollution, save and protect the environment;

WHEREAS, incidences of littering of bio-degradable and non-biodegradable waste are being observed in the State which is causing pollution and damage to environment in addition to clogging of drains. Whereas, littering is also noticed from tourists vehicles, public & private transport and taxis in Himachal Pradesh and that it requires special attention for plastic waste management in the State as this littered garbage is directly reaching in the drains and sewage causing chocking and blockage of these public utilities;

WHEREAS, the section 3 of Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 prohibit to throw garbage in public drains and sewage;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 and under Sub-Section (1) of Section 3-A of the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 order that henceforth, all taxi operators, public transport (HRTC etc.) and owners/drivers of other private transport vehicles (Volvo Buses, Trucks and tempo travelers etc.) shall install/fix **"Garbage Bin"** in their taxi, public and private transport vehicles for collection of waste and dispose of the same at designated places and thus shall not allow to litter /throw Bio-degradable plastic carry bags/Non-biodegradable material as specified in the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995. The concerned Regional Transport Officer (RTO), Motor Vehicle Inspector (MVI), Bus Adda In-charge and owners/occupiers of public parking lots shall ensure compliance, to this effect in

respective areas of their jurisdiction. The Regional Transport Officer (RTO) and Motor Vehicle Inspector (MVI) shall pass/register the taxis/transport vehicles in the State only after installation/fixing of "Garbage Bin".

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the officers/ officials already authorized vide Notification No. STE-F(4)-1/2019-Loose dated 21-01-2025 will also be authorized for entry and inspection under section 7(A) while compounding the offences committed under the Act *ibid* including the Regional Transport Officer (RTO) and Motor Vehicle Inspector (MVI) and to compound any offence as per provision of section 11. The concerned authorized officer, while compounding the offences committed under the Act *ibid,* shall specify the sum for compounding as per the following criteria:-

Sr. No.	Prohibition & activity under Non-Biodegradable material as specified in the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995	Amount (Rs.)
(A)	Littering of Bio-degradable/non-biodegradable material as specified in the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 and one time use Compostable/ Biodegradable Plastic Carry bags and such items made of non-biodegradable, compostable/biodegradable plastic used for serving and consuming food (one time use plastic) by the all Taxi operators, public transport vehicles (HRTC, etc.) and owners/drivers of other private transport vehicles (Volvo Buses, Trucks and tempo travelers, etc.).	1500/-
(B)	Non installation/fixing of "Garbage Bin" in taxis/vehicles for public transport.	10,000/-

The above regulation will come into force within 30 days of the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette) in the entire State of Himachal Pradesh in the public interest.

By Order,

Prabodh Saxena
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. STE-F(9)-1/2018-loose Dated: Shimla-2, 28-03-2025

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Pr. Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Private Secretaries to the Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh.
4. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. All Heads of Department of Himachal Pradesh.
6. All the Divisional Commissioners of Himachal Pradesh.
7. All the Deputy Commissioners of Himachal Pradesh.
8. The Director, Deptt. of Environment, Sci. Tech. &CC, Near U.S. Club Shimla-1.
9. The Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board, Phase-III, New Shimla-9.
10. The Managing Director, Himachal Road Transport Corporation, Shimla-171001.
11. The Director, Directorate of Transport, H.P Shimla-171004.
12. The Addl.LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.
13. Guard file.

28-03-2025

(Satpal Dhiman)
Additional Secretary (Env. Sci.Tech. & CC) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No.0177-2621874

हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन

संख्याः एस.टी.आई–एफ(9)–1/2018–एल तारीखः शिमला–2, 28 मार्च, 2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश सरकार, ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 के अधीन खाद योग्य बैग सहित कतिपय अनाशित कूडा कचरा पदार्थों के उपयोग पर और राज्य में प्रदूषण के बचाव, पर्यावरण की सुरक्षा प्रतिरक्षण उसे विखरने पर प्रतिरोध अधिरोपित किया है;

राज्य में आशित कूडा–कचरा और अनाशित कूडा–कचरा अपशिष्ट को फेंकने की घटनाएं देखी जा रही है जिनके कारण प्रदूषण होता है और नाले के जाम होने के अतिरिक्त पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक यानों, सार्वजनिक एवं प्राईवेट परिवहन और टैक्सीयों से कूडा फेंकने का भी नोटिस किया गया है और यह कि राज्य में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु विशेष ध्यान देने की अपेक्षा है क्योंकि यह फेंका गया कूड़ा कचरा प्रत्यक्षता नालों और मलव्ययन में पहुंच रहा है जिसके कारण सीवरेज इन लोक सुविधायों के बन्द होने और प्रतिरोध हो रहा है;

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3 लोक जल निकास और मलव्ययन में कूड़ा–कचरा फेंकने को प्रतिषेध करता है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3–क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करते है कि अभी से समस्त टैक्सी संचालक लोक परिवहन (हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम आदि) और अन्य प्राईवेट परिवहन यान (वोल्वो बसें, ट्रक और टेंपो ट्रैवलर आदि के स्वामी/चालक उनकी टैक्सी, सार्वजनिक और प्राईवेट यानों मे अपशिष्ट के संग्रहण हेतु (कूड़ा–कचरा पात्र रखेगें/चिपकाएगें और चिन्हत स्थानों पर निष्पादित करेगें और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 में यथाविर्निदिष्ट आशित कूड़ा–कचरा प्लास्टिक कैरी बैग/अनाशित कूड़ा–कचरा पदार्थ फेंकने या जमा करने को अनुज्ञात नही करेंगे। सम्बद्व क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) मोटरयान निरीक्षक (एम.वी.आई.), बस अड्डा प्रभारी और सार्वजनिक पार्किंग लॉटस के

स्वामी/कब्जाधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के क्षेत्रों में इस आशय की अनुपालना होगी। क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) और मोटर यान निरीक्षक (एम. वी.आई.) राज्य में केवल "कूड़ा कचरा पात्र" के स्थापित/चिपकाने के पश्चात् ही टैक्सी/परिवहन यानों को पास/रजिस्ट्रकृत करेगें।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह और आदेश करते है कि अधिसूचना संख्याः एस.टी.एफ.–एफ (4)–1/2019–लूज तारीख 21.01.2025 द्वारा पहले से प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) और मोटर निरीक्षक (एम.वी.आई.) सहित पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों का शमन करते समय धारा 7 क के अधीन प्रविष्टि और निरीक्षक हेतु भी प्राधिकृत किए जाएंगे और धारा 11 के उपबन्ध के अनुसार किसी भी अपराध का शमन कर सकेंगें। संबद्व प्राधिकृत अधिक़ारी पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों का शमन करते समय निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार शमन के लिए रकम विनिर्दिष्ट करेगा:–

क्रम संख्या	हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 में यथाविनिर्दिष्ट अनाशित कूड़ा–कचरा पदार्थ के अधीन प्रतिषेध एवं क्रियाकलाप	रकम (रूपयों में)
(क)	हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 में यथाविनिर्दिष्ट आशित कूडा कचरा/अनाशित कूडा कचरा पदार्थ का फेंका जाना और खाद योग्य/आशित कूड़ा कचरा प्लास्टिक कैरी बैग का एक समय उपयोग तथा समस्त टैक्सी संचालकों, लोक परिवहन यानो (हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम आदि) और अन्य प्राईवेट परिवहन यान (वोल्वो बसें, ट्रक और टेंपो ट्रैवलर आदि) के स्वामी/चालक द्वारा भोजन परोसने और उपयोग करने (एक समय प्लास्टिक प्रयोग) हेतु प्रयुक्त अनाशित कूड़ा–कचरा, खाद योग्य/आशित कूड़ा–कचरा प्लास्टिक से बनी ऐसी अन्य वस्तुएं।	1500/–
(ख)	लोक परिवहन हेतु टैक्सी/यानों में "कूड़ा–कचरा पात्र" का स्थापित न किया जाना/चिपकाया जाना।	10,000/–

उपरोक्त विनियम जन हित में हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में राजपत्र (ई–गजट) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रवृत्त होंगें।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीखः शिमला–2 28 –03–2025.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
5. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिमला–1
9. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हि0प्र0 न्यू शिमला–9
10. प्रबंध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम लिमिटेड, शिमला–171001
11. निदेशक, परिवहन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005
12. सहायक विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
13. संरक्षण नस्ति।

(सतपाल धीमान) 28-03-2025
अतिरिक्त सचिव (पर्यावरण,वि0 प्रौ0 एवं ज0प0)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष संख्याः 0177–2621874